कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 327/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 20.08.2026

थाना–साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

डिजिटल अरेस्ट कर ₹26.70 लाख की साइबर ठगी करने वाला शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने का भय दिखाकर पीड़ित से ₹26.70 लाख की ठगी करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार।

अभियुक्त के कब्जे से 02 मोबाइल फोन व ₹2,070 नगद बरामद

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ पुलिस द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में यह सफलता प्राप्त की गयी।

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण–

वादी मुकदमा द्वारा थाना साइबर क्राइम पर सूचना दी गयी कि विभिन्न मोबाइल नम्बरों से व्हाट्सएप कॉल कर स्वयं को CIO अधिकारी बताते हुए खाते से गलत लेन-देन होने तथा उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होने की बात कहकर भयभीत किया गया और **डिजिटल अरेस्ट** कर लिया गया। इसके बाद गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर वादी से कुल **₹26,70,000/-** अपने खातों में ट्रांसफर करा लिये गये।

इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ पर **मु0अ0सं0 32/2026 धारा 318(4), 319(2), 204 बीएनएस एवं 66C, 66D आईटी एक्ट** पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त **जहांगीर आलम पुत्र मो0 रईस, निवासी ग्राम मछली माहौल, लालकुर्ती, आमीनाबाद, लखनऊ, उम्र करीब 27 वर्ष** का नाम प्रकाश में आया। पुलिस टीम द्वारा जनपद लखनऊ पहुंचकर अभियुक्त को उसकी सहमति से थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ लाया गया। पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों से घटना में संलिप्तता प्रमाणित होने पर दिनांक **20.08.2026 को समय 11:35 बजे थाना परिसर से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।**

अपराध का तरीका (Modus Operandi)

अभियुक्त अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों को विभिन्न मोबाइल नम्बरों से व्हाट्सएप कॉल करता था तथा स्वयं को पुलिस/अधिकारी बताकर खाते से गलत लेन-देन होने एवं मुकदमा दर्ज होने का भय दिखाकर **डिजिटल अरेस्ट** कर लेता था। इसके बाद गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर पीड़ितों से धनराशि अपने खातों में ट्रांसफर करा लेता था।

बरामदगी–

- 02 अदद मोबाइल फोन
- ₹2,070/- नगद
- विभिन्न मोबाइल नम्बरों से संबंधित सिम कार्ड

बरामदगी के आधार पर मुकदमे में **धारा 317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गयी।

आपराधिक इतिहास–

मु0अ0सं0 32/2026 धारा 318(4), 319(2), 204, 317(2) बीएनएस एवं 66C, 66D आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

जहांगीर आलम पुत्र मो0 रईस, निवासी ग्राम मछली माहौल, लालकुर्ती, आमीनाबाद, लखनऊ, उम्र करीब 27 वर्ष।

पुलिस टीम–

प्र0नि0 राजकुमार सिंह, उ0नि0 रजत सिंह, का0 एजाज खान, का0 सभाजीत मौर्य, का0 विकास कुमार, का0 महिपाल यादव, थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ एवं का0 आलोक सिंह, सर्विलांस सेल।

थाना- महराजगंज, जनपद- आजमगढ़

जालसाजी एवं कूटरचना करने वाला 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 24.04.2026 को वादिनी श्रीमती लाली देवी पत्नी बनारसी, निवासी ग्राम नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा मा0 न्यायालय से प्राप्त आदेश के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा चक नं0 294, रकबा 285 कड़ी की जमीन करिया उर्फ प्यारे लाल से रजिस्ट्री वयनामा के माध्यम से क्रय की गयी थी। उक्त जमीन को हड़पने की नीयत से अभियुक्त बुधई पुत्र गिरधारी द्वारा कूटरचना कर फर्जी प्रपत्र तैयार कर अपना नाम दुधई उर्फ करिया अंकित करा लिया गया। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 72/2026 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि बनाम बुधई पुत्र गिरधारी निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 अवधेश कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन तथा थानाध्यक्ष महराजगंज श्री जयप्रकाश के नेतृत्व में दिनांक 19.08.2026 को उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 सुधीर पाण्डेय एवं का0 प्रदीप यादव क्षेत्र में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त **बुधई पुत्र गिरधारी निवासी ग्राम नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़** को उसके घर से दिनांक 19.08.2026 को समय करीब **12:35 बजे** नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी, जिसमें कोई नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बुधई पुत्र गिरधारी, निवासी ग्राम नौबरार देवारा, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़। उम्र करीब 61 वर्ष,

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 72/2026 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 72/2026 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अवधेश कुमार यादव, उ0नि0 सुधीर पाण्डेय, का0 प्रदीप यादव थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

थाना- कोतवाली, जनपद- आजमगढ़

साइबर हेल्प डेस्क की त्वरित कार्यवाही से साइबर फ्रॉड में ठगी गई ₹38,000 की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस।

पूर्व की घटना/ कृत कार्यवाही का विवरण-

पीड़ित **अजीत कुमार सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़** के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया गया तथा खाते में ₹200 जमा करने के नाम पर जानकारी प्राप्त कर पीड़ित के खाते से कुल **₹42,999/-** की धनराशि धोखाधड़ीपूर्वक निकाल ली गयी।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली स्थित **साइबर हेल्प डेस्क** द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक खातों में सम्पर्क कर **₹39,592/- की धनराशि होल्ड** करायी गयी। प्रयास के फलस्वरूप **₹38,000/- की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस (रिफंड) करा दी गयी है**, जबकि शेष धनराशि को वापस कराने की कार्यवाही प्रचलित है। पीड़ित द्वारा साइबर हेल्प डेस्क, थाना कोतवाली एवं जनपद पुलिस की त्वरित कार्यवाही के लिए आभार व्यक्त किया गया।

कार्यवाही करने वाली टीम- साइबर सेल प्रभारी **उ0नि0 सागर कुमार रंगू** मय टीम।

जनता से अपील

अनजान व्यक्ति द्वारा फोन पर बैंक अधिकारी बनकर मांगी गयी किसी भी प्रकार की बैंकिंग जानकारी, OTP, पासवर्ड अथवा अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल **साइबर हेल्पलाइन 1930** पर शिकायत दर्ज कराएं तथा निकटतम साइबर हेल्प डेस्क/थाने से सम्पर्क करें।

थाना- मेंहनगर, जनपद- आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, नाबालिग पीड़िता बरामद।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 18.08.2026 को वादिनी मुकदमा थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि उनकी नाबालिग नातिनी, जो उनके साथ रहती थी, को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस सूचना के आधार पर थाना मेंहनगर पर **मु0अ0सं0 290/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहृता/लापता की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.08.2026 को उ0नि0 मयंक नारायण सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद** किया गया तथा प्रकाश में आये अभियुक्त **नूर इस्लाम उर्फ आर्यन पुत्र तौफीक, निवासी कुमारीकाता, थाना तामुलपुर, जनपद कुमारीकाता, गुवाहाटी, असम, उम्र करीब 22 वर्ष** को गोपालपुर तिराहे से समय करीब **11:10 बजे** गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नूर इस्लाम उर्फ आर्यन पुत्र तौफीक, निवासी कुमारीकाता, थाना तामुलपुर, जनपद कुमारीकाता, गुवाहाटी, असम, उम्र करीब 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 290/2026 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मयंक नारायण सिंह मय हमराह म0का0 अंशु कुमारी एवं का0 दीपक यादव।

थाना- कोतवाली, जनपद आजमगढ़

गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के तहत कुर्की/उद्घोषणा संबंधी नोटिस की कार्रवाई

दिनांक 19.08.2026 को थाना कोतवाली पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 102/2026 धारा 2(बी)1/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट** की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **1. प्रमोद कुमार पुत्र जयकरन उर्फ सहदेव, निवासी पुसड़ा आईमा (चकतगे), थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष एवं 2. मोनू चौहान पुत्र हीरालाल चौहान, मूल निवासी ग्राम मेहमौनी, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, हालपता पुसड़ा आईमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष** के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा जारी **धारा 84 बीएनएसएस के प्रासेस** का नियमानुसार तामीला कराया गया।

उ0नि0 शिवम त्रिवेदी मय हमराह हे0का0 राजकुमार यादव एवं का0 त्रिवेणी शाह द्वारा दोनों अभियुक्तों के घर एवं सार्वजनिक स्थानों पर **साक्षीगण की उपस्थिति में नोटिस चस्पा** किया गया तथा मोहल्ले में मुनादी करायी गयी। साथ ही धारा 84 बीएनएसएस के प्रासेस की प्रति आसपास के सार्वजनिक एवं दर्शनीय स्थानों पर नियमानुसार चस्पा की गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 शिवम त्रिवेदी मय हमराह हे0का0 राजकुमार यादव एवं का0 त्रिवेणी शाह।

थाना- अतरौलिया, जनपद- आजमगढ़

गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

➡️ संगठित गिरोह बनाकर हत्या/हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध कारित करने वाले गैंग के सदस्य संजीव पाण्डेय उर्फ संजू को अतरौलिया पुलिस ने किया गिरफ्तार।

➡️ अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में हत्या/हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट से संबंधित मुकदमा पंजीकृत; गैंगलीडर सहित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की कार्रवाई जारी।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 19.08.2026 को थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे की लिखित तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर **मु0अ0सं0 325/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1986** बनाम अभियुक्तगण **1. अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह एवं 2. संजीव पाण्डेय उर्फ संजू** पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण द्वारा संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर हत्या/हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाना प्रकाश में आया है। अभियुक्त अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह गैंग का गैंगलीडर है।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **19.08.2026** को थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **संजीव पाण्डेय उर्फ संजू पुत्र रामसागर पाण्डेय, निवासी ग्राम मुस्तफाबाद, थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब 27 वर्ष** को **दुल्हूपुर पेट्रोल टंकी के पास** से समय करीब **22:45 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 325/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1986, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 163/2025 धारा 105/109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे, उ0नि0 विश्राम गुप्ता, का0 रोहित विश्वकर्मा एवं का0 गोलू कुमार, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

थाना- सरायमीर, जनपद- आजमगढ़

शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने एवं मुकदमा समाप्त कराने के लिए धोखे से बयान कराने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡ अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में धारा 69, 351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत था; पुनः शादी से इंकार करने पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूर्व की घटना/इतिहास- दिनांक 19.08.2026 को पीड़िता द्वारा थाना सरायमीर पर तहरीर दी गयी कि ननिहाल ग्राम संजरपुर में रहने के दौरान अभियुक्त **अब्दुल्ला पुत्र कौसर, निवासी संजरपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़** द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये। शादी के लिए कहने पर अभियुक्त एवं उसके परिजनों द्वारा शादी से इंकार कर दिया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 20.05.2026 को थाना सरायमीर पर **मु0अ0सं0 128/2026 धारा 69, 351(3) बीएनएस** पंजीकृत किया गया था।

मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अभियुक्त एवं उसके परिजनों द्वारा शादी के लिए राजी होने का भरोसा दिलाकर पीड़िता को न्यायालय में कोई कार्यवाही न किये जाने के पक्ष में बयान देने हेतु कथित रूप से तैयार कराया गया, जिसके उपरान्त मुकदमा समाप्त हो गया। बाद में अभियुक्त द्वारा पुनः शादी से इंकार करने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर **मु0अ0सं0 210/2026 धारा 318(2), 69, 351(3) बीएनएस** बनाम अब्दुल्ला व उसके परिजनों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **20.08.2026** को उ0नि0 अनुज कुमार द्विवेदी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **अब्दुल्ला पुत्र कौसर** को उसके घर ग्राम संजरपुर से समय करीब **08:30 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अब्दुल्ला पुत्र कौसर, निवासी ग्राम संजरपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 210/2026 धारा 318(2), 69, 351(3) बीएनएस, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अनुज कुमार द्विवेदी मय का0 अंकुर सिंह एवं म0का0 संजू सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद

➡ "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत इंस्टाग्राम पर गैंग बनाकर झुंड में घूमने वाले युवकों की काउंसलिंग, अभिभावकों को दी गयी सख्त हिदायत।

➡ सोशल मीडिया के दुरुपयोग एवं आमजन में भय का माहौल उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध 02 युवकों का चालान, 02 बाइक सीज।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा **"ऑपरेशन वज्रपात"** के तहत क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर झुंड में भ्रमण करने वाले युवकों को चिन्हित किया गया। जांच में **Instagram ID "_ahir__sandeep_6001"** से जुड़े **संदीप यादव पुत्र विद्यालय यादव, निवासी अरया, थाना निजामाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष** तथा **Instagram ID "ramakant_yadav_azamgarh"** से जुड़े **रमाकान्त पुत्र शंकर यादव, निवासी अरया, थाना निजामाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष** को चिन्हित किया गया।

पुलिस द्वारा दोनों युवकों को थाना परिसर में बुलाकर कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में काउंसलिंग की गयी तथा अभिभावकों को भी आवश्यक हिदायत दी गयी। साथ ही दोनों के विरुद्ध **धारा 126/135/170 बीएनएस के तहत चालान की कार्रवाई** की गयी तथा **02 मोटरसाइकिल सीज** की गयीं।

पुलिस द्वारा युवाओं को सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक प्रयोग करने तथा किसी भी प्रकार से गैंग संस्कृति, दबंगई अथवा भय का माहौल उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गयी।

साइबर टीम- उ0नि0 दिलीप आनन्द, का0 राकेश यादव, का0 संदेश सिंह एवं म0आ0 रेनू देवी।

थाना–जीयनपुर, जनपद–आजमगढ़

किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पूर्व की घटना/इतिहास– दिनांक 01.07.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना जीयनपुर पर तहरीर दी गयी कि वादिनी मुकदमा की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष घरेलू सामान लेने हेतु घर से दुकान गयी थी, जो वापस घर नहीं आयी। तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर **मु0अ0सं0 287/2026 धारा 137(2) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर मुकदमे में **धारा 87/65(1)/61(2) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 20.08.2026 को उ0नि0 जाफर खांन मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त **नागेन्द्र यादव पुत्र रमेश यादव, निवासी बीबीपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष** को **लाटघाट बाजार में भुख्खल बाबा मंदिर जाने वाले मोड़** से समय करीब **08:40 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 287/2026 धारा 137(2)/87/65(1)/61(2) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास– मु0अ0सं0 287/2026 धारा 137(2)/87/65(1)/61(2) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना जीयनपुर तथा मु0अ0सं0 25/2018 धारा 147, 292, 352, 376, 465, 469, 504, 506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 जाफर खांन, का0 सिकन्दर यादव, का0 दीपक सिंह, का0 अमित सिंह, रि0का0 अंकित कुमार एवं रि0का0 अनूप सिंह, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना–कन्धरापुर, जनपद–आजमगढ़
दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित किशोर को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

पूर्व की घटना– दिनांक 04.05.2026 को आवेदक द्वारा थाना कन्धरापुर पर सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को दिनांक 30.07.2026 की रात्रि करीब 01:00 बजे एक बाल अपचारी द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाया गया तथा इस कृत्य में उसके माता-पिता भी शामिल हैं। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कन्धरापुर पर **मु0अ0सं0 193/2026 धारा 137(2), 87, 61(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी दिनांक 19.08.2026 को की गयी तथा धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान अंकित कराये गये। पीड़िता के बयान एवं शैक्षिक प्रमाण-पत्र के अवलोकन के आधार पर अभियोग में **धारा 64(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गयी।

पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने का विवरण–
दिनांक **20.08.2026** को उ0नि0 महेश प्रताप सिंह मय हमराह का0 नितिन मिश्रा एवं का0 रामशरन द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी को **मन्दुरी तिराहा** से समय करीब **11:10 बजे** पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 193/2026 धारा 137(2), 87, 61(2), 64(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम– उ0नि0 महेश प्रताप सिंह, का0 नितिन मिश्रा एवं का0 रामशरन, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।